संख्या- 66 / 2026 / 370 / चार-2026-2024344

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2026

विषय:- पुरातत्व निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों की चिकित्सा से संबंधित बिल/ बाउचर्स के भुगतान हेतु 49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2087 /प्रथम-01(ख) (04)/25, दिनांक 30 जनवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार पुरातत्व निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों की चिकित्सा से संबंधित बिल/ बाउचर्स के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103-पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय-49-चिकित्सा व्यय मद में **रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 03- महंगाई भत्ता मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 49- चिकित्सा व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई. संख्या- RE-budget-1-399-E-7-193-X-2025-26-दिनांक: 28.02.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 66 / 2026 / 370 (1)/चार-2026- 2024344 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण एवं वित्त अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-370-2026-Archaeology Medical

विषय:- पुरातत्व निदेशालय के 49- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में 03- महंगाई भत्ता मद से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,60,00,000 रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	3,55,00,000 रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 5,00,000	₹ 5,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	49 (चिकित्सा व्यय)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,00,000	₹ 5,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-399-E-7-193-X-2025-26-दिनांक: 28-02-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 66 / 2026 / 370 (1)/चार-2026- 2024344 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, छतर मंजिल, कैसरबाग, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वित्त अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in